झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

अधिसूचना।

एस0ओ0– 28 दिनांक– 10-10-2013 झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 05, 2006) की धारा 58 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची के कॉलम संख्या–4 में निर्धारित दर तथा कॉलम संख्या–5 में निर्धारित विहित शर्त्तों तथा बंधेजों के अनुसार एवं कॉलम संख्या–2 में अंकित व्यवसायियों या व्यवसायियों की श्रेणी या किसी वस्तु के खुदरा पुर्नबिकी के व्यवसायियों द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के बदले कर समाहितकरण की निम्न योजना विहित करते हैं :–

कमांक	व्यवसायियों का विवरण / व्यवसायियों की श्रेणी	कय–विकय की श्रेणी	कर समाहितकरण की दर	शर्त्त एवं बंधेज
1	2	3	4	5
1	राज्य में भीतर वस्तु के पुर्नबिकी करने वाले सभी व्यवसायियों, कार्य संवेदक को छोड़कर।	25 लाख रूपये वार्षिक सकल आवर्त तक राज्य के भीतर पुर्नबिकी करने वाले खुदरा व्यवसायी।	JVAT 108 के अधीन निबंधन प्राप्त करने वाले व्यवसायियों के सकल आवर्त का 0.5 प्रतिशत।	1. ऐसे व्यवसायियों को इनपुट टैक्स केडिट की सुविधा देय नही होगी। 2. ऐसे व्यवसायियों को कर–बीजक निर्गमन की सुविधा उपलब्ध नही होगी एवं वे किसी प्रकार की कर वसूली नही कर पाएंगे। 3. उत्पादक व्यवसायी या राज्य के बाहर से आयातक व्यवसायी या अन्तर्राज्य बिकेता व्यवसायी या किसी प्रकार के शराब के बिकेता व्यवसायियों को उक्त सुविधा उपलब्ध नही होगी। 4. ऐसे व्यवसायियों को निबंधन के समय PAN समर्पण की अनिवार्यता नही होगी। लेकिन ऐसे व्यवसायियों को निबंधन प्राप्त होने के 3 महीने की अवधि में PAN समर्पित करना अनिवार्य होगा। 5. ऐसे व्यवसायियों को निबंधन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 5 के अधीन प्रावधानित किसी प्रकार के प्रतिभूति की आवश्यकता नही होगी। 6. ऐसे व्यवसायियों पर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35, 36 एवं 37 के अधीन कर–निर्धारण के प्रावधान लागू नहीं होंगे । 7. आयुक्त के पुर्वानुमति के बिना ऐसे व्यवसायियों के व्यवसाय स्थल की निरीक्षण नही की जाएगी। 8. ऐसे व्यवसायी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत अगले अप्रैल माह की 25 तारीख तक मात्र वार्षिक विवरणी नये प्रपत्र JVAT 215 में समर्पित करेंगे। (**JVAT 215** की प्रति संलग्न)।

				9. ऐसे व्यवसायी वर्तमान वित्तीय वर्ष में अपने सकल आवर्त पर देय कर की राशि का भुगतान त्रैमासिक तरीके से क्रमशः 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 25 मार्च तक करेंगे।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या 216 दिनांक 31.03.2006 तथा अधिसूचना संख्या–11 दिनांक 23.05.2006 के कमांक–5 द्वारा अधिसूचित कर समाहितकरण की सुविधा प्राप्त करने वाले व्यवसायी उपर्युक्त कॉलम संख्या–3 में उल्लिखित अर्हता रखने पर उक्त अधिसूचना की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

3. उक्त अधिसूचना विभागीय अधिसूचना संख्या 216 दिनांक 31.03.2006 तथा अधिसूचना संख्या–11 दिनांक 23.05.2006 के अतिरिक्त प्रभावी होगी।

उक्त अधिसूचना, अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(संचिका संख्या–वाकर1/वैट/2/2013)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10.10.13

(एम0आर0मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त
वाणिज्य–कर विभाग
झारखण्ड, रॉची

FORM JVAT 215

GOVERNMENT OF JHARKHAND
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

(See Rule 3B (i) and 14 (12) (i))

ANNUAL RETURN BY RETAILERS (TURNOVER UPTO 25 LAKHS) LIABLE TO PAY COMPOSITION TAX

Office of the

____

____

TIN

Period	from		to	

1. Name

....

2. COMPOSITION / PERSUMPTIVE TAX SERIAL NO.

3. GROSS TURNOVER FOR THE PERIOD ....

Turnover	Tax Due

4. DETAILS OF TAX DEPOSITED

Payment Details

Details	Challan/Instrument No.	Date	Bank/Treasury	Branch Code	Amount
Payment Details:					

5. ACCOUNT OF STATE FORMS (JVAT 504P)

Sl. No.	No of JVAT 504P used for Purchase	Total Nos.	Total Amount

Sl. No.	No of JVAT 504P used for Sale	Total Nos.	Total Amount

6. **Declarations and Certificates received from other Dealers to be furnished with the Annual Return**

Serial No.	Type of Forms	No. of Forms furnished	Aggregate of amount of transactions for which Forms furnished
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			

DECLARATION:

I ______________________________ S/o ______________________________ state that the information furnished herein is true & correct to the best of my knowledge & belief.

Signature